फैक्स/ईमेल

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या- जन-439/छः-पु-5-2016-1(12)/2005

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव, गृह,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

1-समस्त जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंसिंग प्राधिकारी,उ0प्र0।
2-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,उ0प्र0।

गृह(पुलिस)अनुभाग-5 लखनऊःदिनॉकः 12 अगस्त, 2016

विषयः आयुध नियमावली, 2016 का गजट प्रकाशन तथा तदनुवर्ती कार्यवाही।

महोदय,

उपरिसंदर्भित विषय के संबंध में सूच्य है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना दिनांक 15-07-2016 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में आयुध नियमावली, 2016 अधिसूचित कर दी गयी है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें आयुध नियमावली, 1962 में विहित प्राविधानों में आमूल-चूल बदलाव किये गये हैं।

2- इन संशोधनों में, अन्य के साथ-साथ, परिवर्तित व्यवस्थान्तर्गत लाइसेंसिग प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस के लिए प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने तथा पुलिस रिपोर्ट के लिए नियम संख्या-13 तथा 14 में समय-सीमा निर्धारित कर दी गयी है, जिनका अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार अनेकानेक नवीन प्रावधानों का समावेश किया गया है। इसलिए समस्त जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंसिंग प्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे इसे डाउनलोड कर उसका भलीभॉति अध्ययन कर लें, अन्यथा उनका पालन न होने पर न्यायिक हस्ताक्षेप की प्रबल संभावनायें उत्पन्न होंगी।

3- इसी प्रकार नियम संख्या-15 में इलेक्ट्रानिक प्रारूप पर अभिलेखों का संधारण तथा अनुज्ञप्तियों का समेकन भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिस किसी भी लाइसेंस का विवरण एन0डी0ए0एल0 पर फीड नहीं होगा तथा उसका यू0आई0एन0 जनरेट नहीं होगा, वह 01 अप्रैल, 2017 से अवैध माना जायेगा।

4- उक्त प्रस्तर-2 के ही तारतम्य में यह भी सूचित करना है कि पूर्व में दिनॉक 31-03-2016 के बाद जिन लाइसेंसों का विवरण एन0डी0ए0एल0 पर फीड नहीं था तथा जिनका यू0आई0एन0 जनरेट नहीं हुआ था, वे अवैध मान लिये गये थें, किन्तु भारत सरकार द्वारा इस पर पुनर्विचार कर इस समय-सीमा को 31-03-2017 तक बढ़ा दिया गया है अर्थात् अब लाइसेंसिंग प्राधिकारियों/लाइसेंस धारकों के लिए एन0डी0ए0एल0 पर अपलोड होने तथा यू0आई0एन0 जनरेट होने से अवशिष्ट लाइसेंस को भी

फीड करने का एक अन्तिम अवसर उपलब्ध हो गया है। इस संबंध में यह भी प्रावधानित किया गया है कि दिनॉक 31-03-2016 तक जारी (नवीन तथा पूर्व वर्षो को सम्मिलित करते हुए) लाइसेंस एन0डी0ए0एल0 पोर्टल URL **http://10.24.245.133/armscode/.** पर तथा दिनॉक 31-03-2016 के बाद जारी होने वाले लाइसेंस एन0डी0ए0एल0-ए0एल0आइ0एस0 पोर्टल पर फीड किये जायेंगे। इस संबंध में स्थानीय एन0आई0सी0 के अधिकारियों का सहयोग लिया जायेगा।

5- यह भी स्पष्ट करना प्रासंगिक होगा कि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक शस्त्र होने की स्थिति में अब प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस के लिए पृथक-पृथक लाइसेंस तथा यू0आई0एन0 नहीं होंगे, अपितु एक ही लाइसेंस तथा यू0आई0एन0 पर दूसरे तथा तीसरे शस्त्र का विवरण प्रविष्ट किया जायेगा अर्थात् उक्त व्यवस्था व्यक्ति आधारित होगी न कि शस्त्र आधारित। अतएव, जिला मजिस्ट्रेटगण यह भी सुनिश्चित करायें कि यदि उनके जनपद में उपरिवर्णित व्यवस्था से इतर कार्य हुआ है तो उसे तत्काल संशोधित कर डाटाबेस को त्रुटिरहित कर लिया जाय।

6- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार दिनॉक 01-04-2016 के पूर्व अर्थात् दिनॉक 31-03-2016 तक निर्गत लाइसेंस (नवीन तथा पूर्व वर्षो को सम्मिलित करते हुए) तथा एन0डी0ए0एल0 पोर्टल पर फीड होने से रह गये अवशेष शस्त्र लाइसेंसों का विवरण फीड कराते हुए उनका यू0आई0एन0 जनरेट कराना सुनिश्चित किया जाय। इसी प्रकार एक ही व्यक्ति को पृथक-पृथक शस्त्रों के लिए लाइसेंसवार जनरेट किये गये यू0आई0एन0 को सम्मिलित कर एक ही यू0आई0एन0 में उन्हें संविलीन(merge) किया जाय। इस कार्य को दिनॉक 30-09-2016 अथवा उसके पूर्व प्रत्येक स्थिति में पूर्ण कराया जाय तथा शासन को इसकी अनुपालन आख्या अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताहान्त तक उपलब्ध करायी जाय।

7- इसी प्रसंग में यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके कारण आवेदकों को हताश एवं निराश होकर शासन में सम्पर्क करना पड़ रहा है तथा मा0 न्यायालयों में रिट याचिकायें भी योजित की जा रहीं हैं। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक एवं अस्वीकार्य है। पुनः यह स्पष्ट करना है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-3268/एमबी/2012 जितेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनॉक 07-10-2013 को पारित आदेश में, जिन तीन श्रेणियों के आवेदकों के प्रकरणों पर विचारोपरान्त लाइसेंस स्वीकृत करने की छूट दी गयी है, उनमें उत्तराधिकार के प्रकरण भी सम्मिलित हैं। इसलिए सभी जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय में उत्तराधिकार से संबंधित लम्बित आवेदनों का निस्तारण प्रत्येक दशा में दिनॉक 30-09-2016 तक हो जाय तथा भविष्य में इन्हें नवीन नियमावली के नियम संख्या-13, 14 व 15 में विहित प्रावधानों के अनुसार व्यवहृत किया जाय।

8- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रिट याचिका संख्या-3268/एमबी/2012 जितेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश अभी भी प्रभावी हैं, अस्तु इसमें मा0 न्यायालय द्वारा अनुमन्य छूट की श्रेणी के आवेदनों पर ही विचार किया जाय।

9- उपर्युक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय अन्यथा किसी चूक के लिए जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंसिंग प्राधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव, गृह

संख्या व दिनॉक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव, गृह